

नव चारोंसू पेस्टर के अंतर्गत डाक
शुल्क के नयद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के त्रैण हेतु अनुमत, क्रमांक
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 पि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन द्वारा दिया गया
“छत्तीसगढ़/उर्ग/09/2010-2012.”



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 212]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 7 अगस्त 2012—श्रावण 16, शक 1934

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-13/18/2011.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 432-अ के द्वारा
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा राज्य में नगर पालिक निगम के द्वारा विज्ञापन व्यवसाय/सेवा के विनियमन हेतु उक्त
अधिनियम की धारा 427 की उप-धारा (23) के अंतर्गत निम्नलिखित आदर्श उप-विधि बनाती है, अर्थात् :—

आदर्श उप-विधि

(छत्तीसगढ़ के नगरपालिक निगमों द्वारा अंगीकृत किए जाने हेतु)

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ :—

- (1) ये उप-विधियां विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) उप-विधियां, 2012 कहलाएंगी.
- (2) ये उप-विधियां छत्तीसगढ़ में नगर पालिक निगम (शहर का नाम) की प्रशासनिक अधिकारिता के
अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में लागू होंगी.
- (3) ये उप-विधियां, इस अधिनियम की धारा 432-ए (2) तथा/अथवा 432-ए (3) के अधीन नगर पालिक निगम द्वारा उनके
अंगीकृत किए जाने की तारीख से शासन द्वारा अधिसूचना के पश्चात, जैसा लागू हो, प्रवृत्त होंगी.

2. परिभाषायें :— इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
- (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, समय-समय पर यथा संशोधित छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956);
- (ख) “विज्ञापन” से अभिप्रेत है, सामाजिक, व्यावसायिक या अन्य किसी उद्देश्य से निजी या सार्वजनिक स्थान में धातु, काँच फ्लेक्स या किसी अन्य वस्तु से होर्डिंग स्थापित करना, मैटान या भवन की छत या दीवार पर या खांबे या बिजली के खांबे या किसी अन्य आधार पर किसी विषय या संदेश के सहित या रहित रंगकर या छापकर या बिना रंगे या बिना छपे चिपकाना, टांगना या ढांचे का खड़ा करना या लगाया जाना;
- स्पष्टीकरण :—
- (1) उपरोक्त में दीवाल लेखन सम्मिलित नहीं है।
- (2) वाहनों पर लगे हुए होर्डिंग के आकार में विज्ञापन, चाहे वो स्वचालित हो या हस्तचालित हो, उसमें सम्मिलित नहीं हैं।
- (3) दुकान या स्थापना में लगा मुख्य साइनबोर्ड, जो मूलतः उनका नाम व पता दर्शाता हो, सम्मिलित नहीं है। इसके अतिरिक्त साइनबोर्ड जो दुकान पर या उसके बाहर हो, चाहे वह स्थिर हो या अस्थिर, होर्डिंग द्वारा विज्ञापन का निर्माण करेगा (माना जाएगा).
- (ग) “विज्ञापनकर्ता” से अभिप्रेत है, इन उप-विधियों के अंतर्गत इस रूप में पंजीकृत तथा नगर पालिक क्षेत्र में विशिष्ट क्षेत्र में विज्ञापन करने के लिये अधिकृत व्यक्ति या अभिकरण;
- (घ) “आयुक्त” से अभिप्रेत है, नगर पालिक निगम में ऐसी हैसियत से नियुक्त अधिकारी;
- (ङ) “निगम क्षेत्र” से अभिप्रेत है, नगर पालिक निगम के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के भीतर का क्षेत्र;
- (च) “प्रदर्शन” से अभिप्रेत है, प्रकाश सहित या रहित, स्थिर, घूमता या चलता हुआ ध्वनि रहित होर्डिंग का स्थिर या गतिशील प्रदर्शन;
- (छ) “अवैध विज्ञापन का प्रोत्साहन” से अभिप्रेत है, इन उप-विधियों के उपबंधों के प्रतिकूल विज्ञापन में लिप्तता को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष साधनों से प्रोत्साहित करना या इन उप-विधियों के उपबंधों के अनुसार आयुक्त तथा/या अधीक्षक द्वारा शक्तियों के प्रयोग या दायित्वों के निर्वहन में हस्तक्षेप करना या बाधा पहुंचाना;
- (ज) “होर्डिंग” से अभिप्रेत है, एक मुखी या बहुमुखी प्रदर्शन-पट, जो धातु, काँच, फ्लेक्स, काष्ठ या अन्य किसी पदार्थ से बनाया गया हो, भूमि पर या ऊंचाई पर स्थापित हो या रखा गया हो, चाहे वह व्यवसायिक या अव्यवसायिक उद्देश्य से हो, चाहे वह उपयोग में हो अथवा न हो, पुते हुये हों या खाली हो, जिसका परिमाप एकल होर्डिंग की दशा में 20 फीट या उससे अधिक हो, तथा मार्ग या अन्य स्थान पर कतार में उपयोग में लाये जा रहे होर्डिंग की दशा में 10 फीट या उससे अधिक हो;
- (झ) “अवैध विज्ञापन” से अभिप्रेत है, प्रयोजन के बिना इन उप-विधियों के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रदर्शित कोई विज्ञापन;
- (ज) “अवैध विज्ञापनकर्ता” से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति या अभिकरण, जो इन उप-विधियों में अंतर्विष्ट प्रावधानों के उल्लंघन में होर्डिंग प्रदर्शित करता है;
- (ट) “प्रकाशयुक्त” से अभिप्रेत है, विशेषतः रात्रिकाल में विषयवस्तु की दृश्यता को अंदर या बाहर से बढ़ाने हेतु प्रकाशित;
- (ठ) “अधीक्षक” से अभिप्रेत है, इन उप-विधियों की उप-विधि 4 के निबंधन में ऐसे रूप में नियुक्त अधिकारी.

3. विज्ञापन का विनियम :—

- (1) इन उप-विधियों के प्रवृत्त होने की तारीख से निगम क्षेत्र में समस्त विज्ञापन, जो इसमें अंतर्विष्ट प्रावधानों का उल्लंघन करते हों, अवैध माने जाएंगे, और इन उप-विधियों के तथा/अथवा अधिनियम के तथा/अथवा किसी अन्य विधि के, जैसा कि

जबकि, के अंतर्गत अन्य शास्त्रियों तथा दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा बिना किसी सूचना के हटाने या जब्ती के द्वारा होती है;

परन्तु आयुक्त को उप-विधि के प्रवृत्त होने के पश्चात् इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वर्तनान विज्ञापनकर्ताओं, वैध अथवा अवैध, को 45 दिनों की अवधि का लाभ देने की शक्ति होगी।

परन्तु यह और कि आयुक्त सामान्य जानकारी के लिए प्रवृत्त की जाने वाली उक्त उप-विधि की सूचना दो दिनों तक दी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कर सकेगा, जो विज्ञापन के प्रयोजन हेतु शासन की अनुमोदित सूची में हो तथा जो निगम क्षेत्र में प्रसारित हो तथा उसकी एक प्रति नगर पालिक आयुक्त के कार्यालय में सहजदृश्य स्थान पर चिपकायी जाएगी तथा निगम क्षेत्र में लाउड-स्पीकर पर उसकी घोषणा करायी जायेगी।

परन्तु यह और भी कि, द्वितीय परन्तुक में अनुशंसित कार्यवाही के संबंध में आयुक्त की तरफ से कोई कमी किसी दूसरे लाल या व्यक्ति को इन उप-विधियों के प्रावधानों के पालन में विफल रहने का कोई कारण प्रदान नहीं करेगी।

- (2) इन उप-विधियों के उल्लंघन में होर्डिंग का प्रदर्शन या विज्ञापन व्यवसाय करना अधिनियम की धारा 248 के निबंधनों में अपराध विरचित करेगा तथा तदनुसार धारा 434 के अधीन दण्डनीय होगा।
- (3) खण्ड (2) के अधीन दण्ड, अधिनियम, तथा/या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत किसी अन्य शास्ति/जुमाने पर जैसा कि अधिरोपित किया जाए, प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

4. अधीक्षक की नियुक्ति :—

- (1) इन उप-विधियों के प्रवृत्त होने के पंद्रह दिवस के अंदर, आयुक्त अपने पूर्ण मार्गदर्शन में इन उप-विधियों के प्रयोजन हेतु एक अधिकारी को, जो कार्यपालिक अभियन्ता के पद से निम्न पद का नहीं होगा, अधीक्षक के रूप में कृतों का निष्पादन करने के लिए नियुक्त करेगा।
- (2) ऐसी अवधि, जब तक एक अधीक्षक नियुक्त किया जाए तथा इसके पश्चात् यदि खण्ड (1) के अंतर्गत निर्धारित समय के भीतर अधीक्षक नियुक्त नहीं किया जाता है, तब तक के लिए आयुक्त इन उप-विधियों के अंतर्गत अधीक्षक समझा जायेगा, जब तक कि ऐसी अवधि में अन्य अधिकारी की नियुक्ति नहीं कर दी जाए।

5. आयुक्त की शक्तियाँ, कर्तव्य एवं कृत्य :—

- (1) आयुक्त को अधिनियम के अधीन उनमें निहित सामान्य शक्तियों के अतिरिक्त, इन उप-विधियों के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होंगी :—
 - (क) उप-विधि 4 के अधीन अधीक्षक को नियुक्त करने तथा विधि के प्रावधानों के अनुसार विशेष प्रकरणों में अधीक्षक को कार्यवाही करने के निर्देश देना।
 - (ख) अधीक्षक द्वारा निगम क्षेत्र के प्रभाव के लिये यथानिर्मित विज्ञापन जोन की योजना का परिवर्तन के साथ या बिना परिवर्तन के अनुमोदन करना।
 - (ग) “विज्ञापन मुक्त क्षेत्र” एवं “विनियमित विज्ञापन क्षेत्र” के रूप में जोन को वर्गीकृत तथा नामेदिष्ट करना।
 - (घ) प्रत्येक विनियमित विज्ञापन क्षेत्रों के लिये होर्डिंग की अधिकतम संख्या निर्धारित करना, तथा प्रत्येक क्षेत्र के साड़क के किनारे, छत के ऊपर, तथा मार्ग के मध्य क्षेत्र में होर्डिंग का स्थल, स्थिति, अनुस्थापन तथा अन्य सुरक्षात्मक विशिष्टताओं का पृथक-पृथक निर्धारण करना।
- (2) स्पष्टीकरण :— उपर्युक्त कार्य के लिए आयुक्त व्यवसायियों या अन्य व्यक्तियों से, जैसा उसकी रूप में आवश्यक हो, अभिमत् प्राप्त कर सकेगा।
- (3) अवैध होर्डिंग के संबंध में होर्डिंग को जब्त करना तथा अन्य समस्त उपाय करना तथा अवैध विज्ञापनकर्ताओं के लिए दण्ड अधिरोपित करना।

- (च) अवैध विज्ञापन के प्रोत्साहन पर संज्ञान होना। इन उप-विधियों तथा/या कोई अन्य कानून जैसा कि लागू हो, के अनुसार दोषियों के बिरुद् कार्यवाही करना।
- (छ) शासन या स्थानीय निकाय से संबंधित भूमि/भवन पर विज्ञापन के अधिकारों के लिये उपर्युक्त व्यक्तियों से निविदाएं आमंत्रित कर न्यूनतम दरें निर्धारित करना।
- (ज) उपर्युक्त खण्ड (छ) के अंतर्गत प्राप्त किसी या सभी निविदाओं को स्वीकृत या निरस्त करना।
- (झ) निजी या अन्य सम्पत्ति पर छत के ऊपर विज्ञापन संबंध में किराये के लिये तल दरें निर्धारित करना।
- (ञ) उप-विधि 7 के खण्ड (6) में अंतर्विष्ट प्रावधान के अध्यधीन निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया तथा रीति निर्धारित करना।
- (ट) होर्डिंग की स्थिरता तथा उसमें अंतर्विलित जन-सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु तकनीकी मानकों को विहित करना।
- (ठ) इन उप-विधियों के प्रयोजनों को प्रभावशील बनाने के लिये वे सभी कार्य, जो आवश्यक हो, करना।
6. अधीक्षक की शक्तियाँ, कर्तव्य एवम् कृत्य :—
- (१) इन उप-विधियों को प्रभावशील बनाने के लिये अधीक्षक, आयुक्त के सामान्य निर्देशों के अधीन कार्य करेगा, और निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा निम्नलिखित कार्य करेगा :—
- (क) इन उप-विधियों के प्रयोजन के लिये जोन का चार्ट बनाना तथा उस पर आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करना।
- (ख) विनियमित विज्ञापन जोन हेतु जोनवार तथा/अथवा अनेक जोन के आधार पर विज्ञापन अधिकार हेतु निविदा प्रक्रिया में आयुक्त को समर्थन देना।
- (ग) विज्ञापनमुक्त क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा होर्डिंग स्थापित करने के किसी प्रयास का आयुक्त को लिखित में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा इस संबंध में आयुक्त के आदेशों को प्रभावी बनाना।
- (घ) विज्ञापनकर्ता से उन्हें आवंटित परिक्षेत्रों में होर्डिंग स्थापित करने के लिए अनाधिकृत तत्वों के प्रयासों के विषय में शिकायतों को प्राप्त करना तथा इन उप-विधियों के अनुसार इस संबंध में सुधार की कार्यवाही करना।
- (ङ) विहित रीति के अनुसार अधीकृत विज्ञापनकर्ताओं के रोस्टर का संधारण करना तथा इन उप-विधियों से संबंधित या इसके अंतर्गत सभी विषयों एवं दस्तावेजों का अभिलेख तैयार कर संधारित या आच्छादित करना।
- (च) इन उप-विधियों के अंतर्गत रायलटी, किराया, शास्तियों तथा अन्य देनदारियों की मांग करना तथा प्राप्त कर निगम खाते में जमा करना।
- (छ) होर्डिंग का निरीक्षण कर उनकी सुरक्षा व स्थिरता सुनिश्चित करना तथा यदि संतुष्ट न हो, तो आवश्यक सुधारात्मक उपायों के लिये आदेशित व प्रवर्तित करना:
- परन्तु 50 फीट से अधिक परिमाप के होर्डिंग्स की दशा में, अथवा संवेदनशील स्थानों अथवा संवेदनशील रूप से लगाये जा रहे होर्डिंग्स की दशा में, अधीक्षक विज्ञापनकर्ता से होर्डिंग्स की सुरक्षा व स्थिरता के संबंध में प्रमाणित स्ट्रक्चरल यंत्रों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।
- स्पष्टीकरण :— संवेदनशील बिन्दु/स्थान/रीति जैसे मामलों में विवाद की स्थिति में आयुक्त का अधिमत अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- (ज) अवैध होर्डिंग्स को हटाने के लिये नोटिस जारी करना एवं नोटिस द्वारा वांछित कार्यवाही न होने पर होर्डिंग्स को हटाने तथा राजसत करने हेतु कार्यवाही करना तथा जुर्माना/शास्ति के अधिरोपण तथा राजि प्राप्त करने के लिए अग्रिम कार्यवाही करना।

- (झ) यदि तथा जब आवश्यक हो, तो अद्वैत विज्ञापनकर्ताओं एवं वे जो इसे प्रोत्साहन देते हैं, के विरुद्ध कार्यवाही के लिये पुलिस के पास प्राथमिकी तथा समुचित प्राधिकारी के पास शिकायत दर्ज करना।
- (ज) निगम क्षेत्र में सुरक्षित विज्ञापन को प्रोत्साहन देने के लिए जितनी बार संभव हो सके जितना व्यापक संभव हो सके, किसी भी माध्यम से इन उप-विधियों के प्रयोजन तथा उद्देश्य का प्रसार करना।
- (ट) निगम क्षेत्र में विज्ञापन इन उप-विधियों के अनुरूप है, यह सुनिश्चित करना।
- (ठ) विनिर्दिष्ट स्थानों में होर्डिंग स्थापित करने के लिये अनुमति देने हेतु विनियमित विज्ञापन क्षेत्र में नियम भूमि तथा भवनों के स्वामियों से आवेदन पत्र प्राप्त करना व स्थल निरीक्षण तथा संरचनात्मक स्थिरता तथा पहुँच लेने की कुशलता, सुरक्षा से संबंधित समाधान हो जाने के पश्चात् तथा अधिनियम की धारा 132(6)(ठ) के अंतर्गत जैसा कि विहित किया जाए, उस दर तथा उस समय वर्तमान दरों पर विज्ञापन शुल्क के भुगतान के अध्यधीन रहते हुए अनुमति प्रदान करना।

7. विज्ञापन हेतु विहित प्रक्रिया :—

- (1) इन उप-विधियों के प्रभावशील होने की तारीख से निगम क्षेत्र में विज्ञापनों के लिये इस उप-विधि में उपबंधित अनुसार प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
- (2) विज्ञापन के प्रयोजन हेतु आयुक्त द्वारा निगम क्षेत्र को जोन में विभाजित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण :— जोन का भौगोलिक क्षेत्र, एक अथवा अधिक वार्डों को सम्मिलित कर, अथवा एक सड़क के बिन्दु “ए” से बिन्दु “बी” तक का भाग हो सकता है।
- (3) जोन की दो श्रेणियां होंगी :—
(अ) विज्ञापन मुक्त क्षेत्र, तथा
(ब) विनियमित विज्ञापन क्षेत्र
- (4) निगम क्षेत्र को उपर्युक्त खण्ड (2) के अंतर्गत विभाजित करते समय, आयुक्त द्वारा इन्हें खण्ड (3) में वर्णित दो श्रेणियों में से किसी एक में वर्गीकृत किया जाएगा।
- (5) विज्ञापनमुक्त क्षेत्र में विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (6) विनियमित विज्ञापन क्षेत्र में स्थित शासकीय या स्थानीय निकाय से संबंधित भूमि/भवनों पर विज्ञापन के अधिकार प्रदान करने हेतु आयुक्त ऐसी रीति से पंजीकृत विज्ञापनकर्ताओं से सीलबंद निविदा आमंत्रित करेगा जो केन्द्रीय सत्रकता आयोग तथा/या शासन द्वारा यथा विहित दिशा निर्देशों में यथा अंतर्विष्ट निविदा आमंत्रित करने के लिए मानक संव्यवहार के अनुरूप हो।
- (7) खण्ड (6) के अधीन निविदा, जोन के या जोन के क्लस्टर्स के आधार पर आमंत्रित की जाएगी।
- (8) निविदा, विनिर्दिष्ट समयावधि के लिये आमंत्रित की जाएगी, जो पांच वर्ष से अधिक की नहीं होगी।
- (9) आयुक्त निविदा आमंत्रित करने के पूर्व प्रत्येक जोन हेतु होर्डिंग की अधिकतम संख्या और होर्डिंग के प्रकार को निश्चित और प्रकट करेगा। खण्ड (6) और (7) के अधीन निविदा आमंत्रित करने की सूचना में उस जोन में लगाए जाने वाले होर्डिंग की अधिकतम संख्या का उल्लेख किया जाएगा।
- (10) सर्वश्रेष्ठ बोली लगाने वाले को जोन में होर्डिंग लगाने के लिए अधिकार प्रदान किए जाएंगे, उसका उपर उप-विधि 5 के उप-खण्ड (घ) के अंतर्गत आयुक्त द्वारा विहित बिन्दुओं तथा विवरणों के अनुसार उसके बदलाव का निष्पादन तथा रोयल्टी व नगर निगम के अन्य बजाय भुगतान के अध्यधीन किया जाएगा।

8. निविदाकर्ताओं को बचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा :—

- (1) विज्ञापन अधिकार हेतु प्रत्येक निविदाकर्ता को संलग्न परिशिष्ट-अ में दिए गए प्रपत्र में, जो इन उप-विधियों का भाग है, विहित अनुसार समुचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर बचनबन्ध निष्पादित कर प्रस्तुत करना होगा।
- (2) बचनबन्ध प्रस्तुत नहीं करने एवं/या ऐसा करने से इंकार करने पर प्रस्तुत निविदा संक्षेपतः निरंक तथा शून्य हो जाएगी तथा जमा किया गया अग्रिम धन निगम द्वारा राजसात कर लिया जाएगा।

9. अवैध विज्ञापन को प्रोत्साहन देना :—

- (1) अवैध रूप से विज्ञापन को बढ़ावा देना तथा/या होर्डिंग का अवैध प्रदर्शन अधिनियम की धारा 248 के निबंधनों के अंतर्गत अपराध होगा तथा जो धारा 434 के निबंधन में दण्डनीय होगा।
- (2) खण्ड (1) के अधीन दण्ड, अधिनियम तथा/या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत किसी अन्य शास्ति/जुर्माने पर जैसा कि अधिरोपित किया जाए, प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

10. निरसन एवं व्यावृत्ति :— इस उप-विधियों के तत्स्थानी और इन उप-विधियों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त उप-विधियाँ इन उप-विधियों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित की जाती हैं।

परन्तु इस प्रकार निरसित उप-विधियों के अधीन दिया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन उप-विधियों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

परिशिष्ट-अ

वर्चनबन्ध

[किसी नहीं-आवेदक द्वारा विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) उप-विधियां, 2012 की उप-विधि-7 (10) के अंतर्गत मैर-न्यायिक स्टाप्प पत्र पर इन विधियों की उप-विधि (4) के अंतर्गत नियुक्त अधीक्षक जो प्रत्युत किया जाना है]

..... नगर पालिक निगम द्वारा मुझे/हमें नगर पालिक निगम विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) उपविधि, 2012 की उप-विधि 7 के निबंधन में विज्ञापन अधिकार प्रदान किए जाने के एवज में निगम के क्षेत्र के जोन में व्यापार/व्यवसाय की सुरक्षित प्रैक्टिस हेतु मैं/हम अधो-हस्ताक्षरकर्ता सत्य-निष्ठापूर्वक निम्नलिखित वचन देते और घोषणा करते हैं :—

- (1) यह कि मैं/हम होर्डिंग्स को सदा अत्यंत सुरक्षित रूप से प्रदर्शित करूंगा/करेंगे और होर्डिंग्स की पूरी सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करूंगा/करेंगे।
- (2) यह कि मैं निगम क्षेत्र के किसी भी स्थान में स्वयं के द्वारा प्रदर्शित विज्ञापन के कारण किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को किसी क्षति, चोट या हानि, भले ही वह किसी दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा अथवा मेरी स्वयं की असावधानी से हो, की भरपाई के निमित्त पर्याप्त राशि का तृतीय पक्ष का बीमा करवाऊंगा।
- (3) उपर्युक्त खण्ड (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मैं/हम निगम क्षेत्र के किसी भी स्थान पर अपने द्वारा प्रदर्शित किसी विज्ञापन से किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को होने वाली किसी प्रकार की क्षति, चोट या हानि, भले ही वह किसी दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा अथवा मेरी स्वयं की असावधानी से हो, की भरपाई हेतु सम्पूर्ण रूप से दायित्वाधीन रहूंगा/रहेंगे।
- (4) यह कि मैं/हम मात्र ऐसी संख्या, स्थानों और तरीके से विज्ञापन प्रदर्शित करेंगे जैसा कि आयुक्त द्वारा विहित किया जाए तथा जिससे न तो पैदल चलने वाले को और न यातायात में व्यवधान या फेरेशानी हो और न ही उनकी रोशनी से आंखे चाँधियाने व अन्य किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे। तथा यदि अधीक्षक द्वारा ऐसी स्थिति पाई जाए या मुझे/हमें लिखित रूप से सूचित किया जाए तो मैं/हम अधीक्षक की संतुष्टि अनुसार आवश्यक सुधारात्मक उपाय करूंगा/करेंगे।
- (5) यह कि अधीक्षक द्वारा मुझे/हमें लिखित में उपर्युक्त (4) के अंतर्गत स्थिति सूचित करने के उपरांत 72 घंटों के भीतर मेरे/हमारे द्वारा किन्हीं भी कारणों से सुधारात्मक उपाय न कर पाने पर उस दोष को दूर करने और/अथवा होर्डिंग को हटा देने के लिए अधीक्षक स्वतंत्र होगा और मैं/हम इस संबंध में निगम द्वारा लिखित में मांगे गये खर्च और शास्ति के भुगतान हेतु दायित्वाधीन रहूंगा/रहेंगे।
- (6) यह कि किसी स्थल पर होर्डिंग के प्रदर्शन करने और/अथवा होर्डिंग लगाने हेतु कोई संरचना/दांचा खड़ी करने से पूर्व मैं/हम उस भूमि/भवन के स्वामी की विशिष्टियां सुनिश्चित करूंगा/करेंगे, उससे लिखित में अनुमति प्राप्त करूंगा/करेंगे और किराए तथा अन्य शुल्कों के निर्धारण और भुगतान के बाद ही उस पर होर्डिंग प्रदर्शित करने हेतु संरचना/दांचा खड़ा करूंगा/करेंगे।
- (7) यह कि विद्युत अथवा अन्य विभाग के खम्भों पर होर्डिंग को श्रृंखलाबद्ध रूप से लगाने के संबंध में मैं/हम संबंधित विभाग/प्राधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त करूंगा/करेंगे व किराए और अन्य शुल्क, यदि कोई हो तो के निर्धारण एवं भुगतान के बाद ही होर्डिंग लगाने की दिशा में आगे बढ़ूंगा/बढ़ेंगे।
- (8) यह कि मैं/हम इसे भलीभांति समझता हूं/समझते हैं और स्वीकार करता हूं/करते हैं कि निगम क्षेत्र में मेरे/हमारे द्वारा प्रदर्शित किये जाने वाले होर्डिंग्स पर किसी व्यक्ति द्वारा चिपकायें अथवा/अन्यथा विकृत किये जाने या नुकसान पहुंचाने पर निगम की जिम्मेदारी नहीं है तथा मेरे/हमारे द्वारा निगम को इस हेतु उत्तरदायी नहीं ठहराया जायेगा लेकिन इस प्रकार होर्डिंग्स को विकृत करने तथा/या नुकसान पहुंचाने हेतु जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ विधि के अनुसार कानूनी कार्यवाही करने के अपने अधिकार को मैं/हम सुरक्षित रखता हूं/रखते हैं।
- (9) यह कि जब कभी अधीक्षक होर्डिंग के स्थल और/या उससे मजबूती देने वाले ढांचे का निरीक्षण करना चाहे तो मैं/हम अपने खर्चे पर ऐसा निरीक्षण द्योगित करूंगा/करेंगे।

- (10) यह कि जब कभी अधीक्षक द्वारा किसी होर्डिंग और/या उसको मजबूती देने वाले ढांचे की सुरक्षा और स्थिरता के बारे में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखित में निर्देश दिया जायेगा तब मैं/हम अपने व्यय पर अधीक्षक की संपूर्ण संतुष्टि अनुसार ऐसा प्रमाण-पत्र प्रा त करूंगा/करेंगे और उसे प्रस्तुत करूंगा/करेंगे।
- (11) यह कि मैं/हम निगम को विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) उप-विधि, 2012 की उप-विधि 8 के अनुरूप जैसे कि विहित और लागू हो, होर्डिंग शुल्क का भुगतान निश्चित समय के अंदर करूंगा/करेंगे।
- (12) यह कि मैंने/हमने विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) उप-विधि, 2012 के उद्देश्य, आशय और प्रयोजन को पढ़ एवं समझ लिया है और मैंने/हमने इन उप-विधियों के अंतर्गत समस्त अपेक्षाओं को अंकित कर लिया है और यह कि मैं/हम इन उप-विधियों का संपूर्ण और भलीभांति अनुपालन करने को वचनबद्ध हूं/हैं।
- (13) मैं/हम यह मानता हूं/मानते हैं तथा स्वीकार करता हूं/करते हैं कि जान-बूझकर इन उप-विधियों में अंतर्विष्ट प्रावधानों का उल्लंघन करने पर आयुक्त द्वारा मुझे/हमें संपूर्ण प्रदेश में काली सूचीबद्ध करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
- (14) यह कि सभी प्रकार की सूचनाओं और अन्य पत्राचार के प्रयोजन हेतु मेरा/हमारा संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है :—

नाम :—

पदनाम :—

पता :—

दूरभाष क्रमांक :— (मोबाईल/लैपटॉप)

फैक्स नं. (यदि हो)

ई मेल आई डी

मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षरित किया गया एवं मेरे/हमारे द्वारा निम्नांकित गवाहों की मौजूदगी में दिनांक
माह को स्थान में निगम को
प्रदान किया गया।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
नाम और पदनाम

गवाह :—

(1)

(2)